पत्रांक 2649 दि0 27/9/2022

17

दिनांक– 14.09.2022 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा सीतामढ़ी कार्य की जिला समाहरणालय, सीतामढ़ी के परिचर्चा भवन में एवं बाजपट्टी, अंचल परिसर में अवस्थित विशेष सर्वेक्षण शिविर, बाजपट्टी–2 में विशेष सर्वेक्षण कार्यों की जिला स्तरीय एवं शिविर स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–14.09.2022 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सीतामढ़ी कार्य की जिला समाहरणालय, सीतामढ़ी के परिचर्चा भवन में समाहर्त्ता सीतामढ़ी, बन्दोबस्त पदाधिकारी सीतामढ़ी, अपर समाहर्त्ता सीतामढ़ी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त विशेष सर्वेक्षण के संचालित अंचलो के अधिकारी, सभी विशेष सर्वेक्षण शिविरों के प्रभारी एवं कानूनगो के साथ सीतामढ़ी जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिये गए निदेश निम्न प्रकार है:–

अंचल से संबंधित विशेष सर्वेक्षण कार्य:– बैठक में सर्वप्रथम सभी अंचल अधिकारी एवं शिविर प्रभारी के साथ अंचल से संबंधित विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में शिविर प्रभारियों द्वारा बताया गया कि अंचल स्तर से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के कागजात एवं अभिलेखों में बहुत सारे कागजात शिविरों को उपलब्ध नहीं कराए गए है। रीगा, शिविर–1 द्वारा बताया गया कि उन्हें जमाबंदी पंजी की प्रति नहीं मिली है, जबकि रीगा–2 द्वारा बताया गया कि उन्हें बन्दोबस्त संबंधी एवं सैरात संबंधी भूमि की विवरणी प्राप्त नहीं हुई है। सोनवर्षा के शिविर प्रभारियों द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा चकबन्दी पूर्ण ग्रामों में चकबन्दी का कागजात प्रस्तुत किया जाता है, जबकि चकबन्दी का खतियान जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं है। बथनाहा के शिविर प्रभारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सरकारी एवं मंदिर/मठों की भूमि के विक्रय उपरांत जमाबंदी कायम की गई है एवं उसके आधार पर रैयतों द्वारा खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है।

अंचल अभिलेख भवन के सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले के कुल 13 चयनित अंचलों में से 7 अंचलों में भवन निर्माण के साथ–साथ उपस्कर इत्यादि का क्रय हो गया है एवं ये सभी कार्यरत हैं। दो अंचलों में भवन पूर्ण है, किन्तु उपस्कर का क्रय नहीं हुआ है एवं शेष 4 में से 1 में जमीन उपलब्ध होने के पश्चात् भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जबकि 03 अंचलों में भूमि उपलब्ध नहीं है।

निदेशित किया गया कि अंचल स्तर से विशेष सर्वेक्षण कार्य में सहयोग एवं समन्वय हेतु अपर समाहर्त्ता के स्तर से सभी विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारियों और उनके अंचल अधिकारियों के साथ प्रत्येक पक्ष में समन्वयात्मक बैठक की जाए। अंचल अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की सफलता के लिए उनके स्तर से निम्नांकित कार्यों का निष्पादन किया जाना आवश्यक है :–

(i) अंचल स्तर से जमाबन्दी पंजी की प्रति, सरकारी एवं बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी, सैरात से सम्बन्धित भूमि की विवरणी इत्यादि को प्रपत्र–6 (नई खेसरा पंजी) के निर्माण पूर्व विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराना।

(ii) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–4166 दिनांक–12.11.2021 द्वारा दिए गए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के क्रम में बनाए गए प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) एवं प्रपत्र–6 खेसरा पंजी का अवलोकन एवं आवश्यकतानुसार विगत् खतियान में प्रविष्ट सरकारी भूमि के वर्त्तमान समय में हुए रैयतीकरण की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करना।

(iii) अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करना एवं यह प्रमाण–पत्र देना कि अवैध जमाबंदी रद्दीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(iv) विशेष सर्वेक्षण कार्य में विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सरकारी भूमि से संबंधी की जानेवाली सुनवाई की प्रक्रिया में ससमय स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सरकारी भूमि का संरक्षण करना।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रम में किसी सरकारी भूमि का खाता रैयत के नाम से खुल जाता है तो इसके लिए अंचल अधिकारी को ही उत्तरदायी मान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि मठ, मंदिर आदि के स्वामित्व निर्धारण के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक– 4372 दिनांक– 07.12.2022 का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि के संरक्षण लिए विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाए। जिन अंचलों में आधुनिक अभिलेख भवन बनाए गए हैं, वहां विभिन्न कर्मचारियों के अभिलेखों को रखा जाए एवं जो भी राजस्व अभिलेख डिजिटली ऑनलाईन उपलब्ध हैं, उन्हें अंचल अधिकारी के डिजिटली हस्ताक्षर से रैयतों को उपलब्ध कराया जाए।

1. **विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा**:– समीक्षा में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति निम्नवत् पाई गई:–

प्रथम फेज में चयनित अंचल -4	MODULE में अंकित ग्रामो की संख्या -254
कुल विशेष सर्वेक्षण शिविर -9	SS मैप प्राप्त ग्रामों की संख्या -254
कुल राजस्व ग्राम -253	त्रिसिमाना और सीमा सत्यापन पश्चात IIC को सौंपे गए मैप- 253
सीमा सत्यापित राजस्व ग्राम -253 (100%)	नगर निकाय में पड़ जाने के कारण उद्घोषणा निरस्त ग्राम - 01
कुल त्रिसिमाना - 644	IIC से अपडेटेड प्राप्त किस्तवार मैप -153
सत्यापित त्रिसिमाना- 644 (100%)	किस्तवार आरम्भ ग्राम -153
IIC को भेजे गए किस्तवार मैप - 253	किस्तवार पूर्ण ग्राम -139
IIC से वापस प्राप्त मैप - 153	IIC को भेजे गए खानापुरी मैप -139
IIC से अपडेटेड प्राप्त किस्तवार मैप -153	IIC से अपडेटेड प्राप्त खानापुरी मैप - 107
किस्तवार आरम्भ ग्राम -152	खानापुरी आरम्भ ग्राम - 107
किस्तवार समाप्त ग्राम -139	खानापुरी पूर्ण ग्राम - 26
IIC को भेजे गए खानापुरी मैप -139	IIC को भेजे गए मैप- 26
IIC से अपडेटेड प्राप्त खानापुरी मैप - 107	IIC से अपडेटेड प्राप्त मैप - 23
खानापुरी आरम्भ ग्राम -107	LPM वितरित ग्राम - 10
खानापुरी समाप्त ग्राम -26	प्रारूप प्रकाशित ग्राम - 06
IIC को भेजे गए मैप- 26	मैप MODULE के UPDATION की स्थिति- अद्यतन
IIC से अपडेटेड प्राप्त मैप - 23	
LPM वितरित ग्राम - 10	
प्रारूप प्रकाशित ग्राम - 06	

उपर्युक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत है:–

(i) समीक्षा में पाया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कुल 253 सीमा सत्यापित ग्रामों में से 153 ही बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराए गए है, जिस कारण 100 ग्रामों में किस्तवार प्रारंभ भी नहीं किया जा सका है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा तीन जिलों में तीन ऑपरेटर लगाये गये हैं और यथाशीघ्र सभी लंबित मानचित्रों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ii) समीक्षा में पाया गया कि अनेक शिविरों द्वारा खानापुरी पूर्ण होने के बाद एक पक्ष तक LPM वितरण नहीं किया गया है एवं छोटे–छोटे ग्रामों के प्रपत्र–6 की प्रविष्टि पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। निदेशित किया गया कि खानापुरी पूर्ण होने के पश्चात् भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि एवं LPM वितरण में तेजी लायी जाए।

(iii) विशेष सर्वेक्षण शिविर यथा बाजपट्टी, शिविर संख्य–01, रीगा–01 के कानूनगो द्वारा प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्ण आदेशों की समीक्षा में पाया गया कि सुनवाई के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों, अमीन के जाँच प्रतिवेदन इत्यादि सभी संबंधित कागजातों को आदेश के साथ सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए। साथ ही शिविर प्रभारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा कानूनगो द्वारा पारित आदेशों की नियमित रूप से कानूनगो द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा की जाए एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए।

(iv) समीक्षा में बथनाहा, शिविर–01 के कानूनगो द्वारा पारित आदेश में पाया गया कि आदेश पारित होने की तिथि के पूर्व की तिथि में एवं अमीन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरह की कुछ अन्य विसंगतियाँ भी पाई गई। सोनवर्षा, शिविर–02 के कानूनगो, श्री राकेश कुमार रोशन एवं सोनवर्षा, शिविर–01 के कानूनगो, श्री रविप्रकाश पाण्डेय द्वारा पारित आदेशों में भी अनेक त्रुटियाँ एवं विसंगतियाँ पाई गई।

स्पष्ट किया गया कि आदेशों की गुणवत्ता को देखते हुए स्पष्ट है कि शिविर प्रभारियों द्वारा कानूनगो द्वारा पारित आदेशों को न तो देखा जा रहा है और न ही उनका गुणवत्ता में सुधार लाने के सम्बन्ध में कुछ किया गया है। निदेशित किया गया कि शारिक अनवर, श्री राकेश कुमार रोशन एवं श्री रविप्रकाश पाण्डेय से तुरंत स्पष्टीकरण किया जाए एवं तीन दिनों के अन्दर में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनकी संविदा समाप्ति की अनुशंसा की जाए। साथ ही सभी शिविर प्रभारियों के सितंबर–2022 के प्रथम सप्ताह के वेतन कटौती की जाए।

(v) सभी शिविर प्रभारियों को निदेशित किया गया कि दिसंबर–2022 तक सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

बाजपट्टी, शिविर संख्या–02 के शिविर का निरीक्षण

जिला स्तरीय समीक्षा के बाद बाजपट्टी अंचल परिसर में अवस्थित विशेष सर्वेक्षण शिविर, बाजपट्टी, शिविर संख्या–02 अंतर्गत शिविर प्रभारी, जेबा परवीन एवं कानूनगो, अली अकबर एवं शिविर में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। शिविर स्तरीय समीक्षा के क्रम में अमीनों द्वारा संधारित याद्दाश्त पंजी का निरीक्षण किया गया। समीक्षा में पाया गया कि अमीन द्वारा रैयतों के स्वामित्व के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों के सम्बन्ध में कानूनगो द्वारा प्रत्येक रैयत के सम्बन्ध में दिए गए आदेश की प्रकृति एक समान है और पारित आदेश में प्रपत्र–6 में प्रविष्ट किए जाने वाले रकबे को कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। बंटवारा की स्थिति में बंटवारे के कागज इत्यादि की स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि कानूनगो द्वारा याद्दाश्त पंजी में पारित किए जाने वाले आदेशों में रकबा को अवश्य स्पष्ट किया जाए एवं स्वामित्व संबंधी साक्ष्यों के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए। यदि अमीन द्वारा याद्दाश्त पंजियों में प्रविष्टियों में सुधार किया गया है तो यह स्पष्ट अंकित किया जाए कि कहाँ–कहाँ सुधार किया गया है और सुधार का आधार क्या है।

अंत में शिविर के सभी कर्मियों को कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए नवंबर—2022 तक शिविर के सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(जय सिंह) 26/9/22
निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0— 10/2022 2649 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी /अपर समाहर्त्ता—सह—प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सीतामढ़ी/सभी शिविर प्रभारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0— 10/2022 2649 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपिः— सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप/श्री राजेश कुमार सिंह, स0ब0प0—सह—नोडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, बिहार, भू—अभिलेख एवं परिमाप पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0— 10/2022 2649 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपिः— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0— 10/2022 2649 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप 26/9/22